न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —120/2019

अनवान : —

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र अगड़ीराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुन्दरपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. सज्जन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. शकुंतला पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. सरोज पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :—श्री लीलाधर अग्रवाल वकील **वादी**
श्री मदन कडवासरा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 3/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 एमएसआर के खाता सं0 55/2 के मु0नं0 47 के किला नं0 5 की 0.253 है0, जिसमें बारानी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी किला नं0 15 की 0.253 है0 जिसमे नहरी 0.240 है0, रास्ता 0.013 है0 किला नं0 16 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 17 की 0.253 है0 मु0नं0 48 के किला नं0 1, 10, 11, 20 की 1.0012 है0 बारानी किला नं0 2/1 की 0.139 है0 किला नं0 9/1 की 0.139 है0 बारानी 12/1 की 0.139 है0 बारानी किला नं0 19/1 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 14 रकबा 3.086 है0 जिसमें नहरी1.276 है0 बारानी 1.808 है0 रास्ता 0.052 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द अगड़ीराम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद कृषि भूमि अमीलाल को अपने पिता अगड़ीराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा अगड़ीराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। उक्त भूमि में अमीलाल के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बहिस्सा निहित है। अमीलाल कर्ता खानदान होने कारण उक्त भूमि अकेले अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि विरासतन भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी थी इसलिए वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपने विवाह के समय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर अपना हक त्या कर दिया था तथा अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी सुरेन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि अमीलाल को अपने पिता अगड़ीराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा अगड़ीराम के देहान्त के बाद वाद भूमि अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी इसलिए वाद भूमि में अमीलाल के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 4 एमएसआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि अमीलाल को अपने पिता अगड़ीराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा अगड़ीराम के देहान्त के बाद वाद भूमि अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 4 एमएसआर सम्वत् 2047 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा अगड़ीराम वल्द नानूराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के विरासतन प्राप्त

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

होना व वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं कुर्सीनामा प्रदर्श 3 में अमीलाल के वारिसान में पत्नी मीरादेवी, तीन पुत्र सज्जन कुमार, सुरेन्द्र कुमार, सुन्दरपाल व दो पुत्रियां शकुंतला व सरोज होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग दिया था जिसे उन्होने राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमएसआर के खाता सं0 55/2 के मु0नं0 47 के किला नं0 5 की 0.253 है0, जिसमें बारानी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी किला नं0 15 की 0.253 है0 जिसमे नहरी 0.240 है0, रास्ता 0.013 है0 किला नं0 16 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 17 की 0.253 है0 मु0नं0 48 के किला नं0 1, 10, 11, 20 की 1.0012 है0 बारानी किला नं0 2/1 की 0.139 है0 किला नं0 9/1 की 0.139 है0 बारानी 12/1 की 0.139 है0 बारानी किला नं0 19/1 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 14 रकबा 3.086 है0 जिसमें नहरी1.276 है0 बारानी 1.808 है0 रास्ता 0.052 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द अगड़ीराम वहिस्सा वरावर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के वजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बरावर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

मि0न0 —120/2019

अनवान : —

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

बनाम

2 अमीलाल पुत्र अगड़ीराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

3 सुन्दरपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

4 सज्जन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

5 शकुंतला पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

6 सरोज पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 एमएसआर के खाता सं0 55/2 के मु0नं0 47 के किला नं0 5 की 0.253 है0, जिसमें बारानी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, किला नं0 6 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी किला नं0 15 की 0. 253 है0 जिसमे नहरी 0.240 है0, रास्ता 0.013 है0 किला नं0 16 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 17 की 0.253 है0 मु0नं0 48 के किला नं0 1, 10, 11, 20 की 1.0012 है0 बारानी किला नं0 2/1 की 0.139 है0 किला नं0 9/1 की 0.139 है0 बारानी 12/1 की 0.139 है0 बारानी किला नं0 19/1 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 14 रकबा 3.086 है0 जिसमें नहरी1.276 है0 बारानी 1.808 है0 रास्ता 0.052 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द अगड़ीराम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)